भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4608

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

श्रमिकों को पारिश्रमिक जारी करने में विलंब

4608. श्री हेमन्त श्रीराम पाटिल:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को पारिश्रमिक जारी करने में व्यापक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2014 से लेकर अब तक, तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने योजनातर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए नियमित और समय पर पारिश्रमिक जारी करना सुनिश्चित करने हेतु एक केन्द्रीय निगरानी प्रणाली विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी नहीं। नियोजकों को उनके कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान (क) नकद या (ख) चेक अथवा (ग) उनके बैंक खाते में जमा द्वारा करने के समर्थ बनाने के लिए मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (28.12.2016 से प्रभावी) द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में संशोधन किया गया है। अधिनियम में यह संशोधन समुचित सरकार को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान को विनिर्दिष्ट करने के समर्थ बनाता है जिसका नियोजक ऐसे औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान केवल चेक द्वारा अथवा उसके बैंक खाते में जमा द्वारा करेगा।

मनरेगा जैसी सरकारी स्कीमों के लिए, सरकार समय पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश तैयार करने की सलाह दी गई है। इसके परिणामस्वरूप भुगतान आदेश समय पर तैयार करने की स्थिति में काफी सुधार आया है तथा इससे कामगारों के खाते में मजदूरी जमा होने में लगने वाले वास्तविक समय में सुधार हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान (18.07.2019 की स्थिति के अनुसार), 15 दिन के भीतर 98.03% भुगतान आदेश तैयार किए गए हैं। मजदूरी के भुगतान में विलंब राज्यों में कार्यान्वयन की समस्याओं के कारण होता है जिनमें अपर्याप्त स्टाफ की तैनाती, समय पर उपस्थिति का रिकार्ड न बनाना और रिपोर्ट न करना, मापन, डेटा प्रविष्टि, मजदूरी सूची तैयार करना, निधि अंतरण आदेश (एफटीओ), आदि शामिल हैं।

******